

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

मुकाम.....

भारतपुर ईन्फ्र डौलपुर

द्विरनदेई

बनाम.....

रमेशचन्द

किस्म मुकदमा.....

विवाद


नं०.....

09

सन.....

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/7/23	<p>वर्धमान अफीलाण्ड उपरी वीरस्ता विपारि का जबलौदन किया गया। डा. पत्र SUBJECT TO LIMITATION की रजिस्टर किया जावे। डा. पत्र पर वर्धमान अफीलाण्ड को बुना गया। वर्धमान अफीलाण्ड वस्तुगत डा. पत्र के माध्यम से मायालय राज्य के मादेश दिनांक 11.9.18 को रिबु करना चाहे है। परन्तु उनके द्वारा इस तरह का कोई नया तथ्य या मानुनी - बुद नहीं बगर्द है जिस पर पूर्व निर्णय में पछे वि विचार नहीं किया गया है। वर्धमान अफीलाण्ड Delhi Development Authority vs Dwan Chand order 11 July 22 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस क्वेरी के रिबु का मेरे बहुत से सीमित है। निम्नलिखित रिबुमरी के निर्णय में अपरेट कर अंन 3 प्रेस ऑफ रिबुई साबित करना होगा है। इससे अल्लवा अफीलाण्ड मायालय के अफीलाण्ड मादेश के निम्न मायालय राज्य में एक अन्य अफीलाण्ड का 8/22 राष्ट्रपति रमेशचन्द को विजाराधीन है। अफीलाण्ड चाहे वो उसमें डा. पत्र 1 सि 10 के तहत जारी करने को स्वतंत्र है। उपरोक्त</p>	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकार को इस हुकम की तामीर में जारी हुए</p>
	<p>विदेन्द्राच्युदाद आ.पत्र खारिज किया जस्तक जाता है। पत्रा संख्या सुमार के जाकर अम्बट से कम के जोड़ें, बाद जाता दाखिल, अम्बट ही निर्णय हुआ गया</p> <p style="text-align: right;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर </p> <p><i>[Faint handwritten text follows, mostly illegible due to bleed-through and fading.]</i></p>	

